(8)

233

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म0प्र0

R 4298-II/12

श्रीमती अनीता मध्यान पत्नी शरद मध्यान, निवासी इलाहाबाद उ0प्र0 हाल मुकाम कुचवाही ताला तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 -------निगरानीकर्ता

बनाम्

765
21.11.2012

1. स्टेट आफ म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष उमरिया म0प्र0
2. वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र धर्मोखर जिला उमरिया म0प्र0
3. अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0

अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि० 21-11-12
21.11.12

-------उत्तरदातागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 15.10.12 जो न्यायालय श्रीमान कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक 05/निगरानी/2011-12 मे पारित किया गया।

10/12/12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है:-

1. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम कुचवाही , पटवारी हल्का 48 कुचवाही सर्किल ताला तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 के आराजी खसरा नम्बर 141/3 रकवा 5 एकड़ को पूर्व भूमि स्वामी श्रीमती चमेलिया बाई बर्मन से जरिए रजि. विकय पत्र दिनांक 10.12.93 को कय कर मालिक भूमि स्वामी काबिज है। उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता 20 वर्षो से 19 कमरों का मकान, रेस्टोरेन्ट ,स्वीमिंग पूल, बाउण्ड्री आदि बनाकर काबिज है, इसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

ण क्रमांक R4298-II/12 जिला–उमरिया

अनीता मध्यान/ शासन वन परिक्षेत्राधिकारी

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 05/निगरानी/2011–121 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	